

पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग के संबंध में कार्य आवंटन

क्र.सं.	अनुभाग	कार्य आवंटन	संबंधित अधिकारी
1.	पी.एम.-I	<ul style="list-style-type: none"> i. पुलिस आधुनिकीकरण (ए एस यू एम पी) योजना के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता। ii. निजी सुरक्षा क्षेत्र में एफडीआई मामला। iii. वार्षिक रिपोर्ट, बजट, मासिक उपलब्धि, मासिक रिपोर्ट, पीएमओ संदर्भ, कैबिनेट के लिए मासिक सारांश और मासिक डीओ का समन्वय कैबिनेट सचिवालय, ई-समिक्षा, एस ओ एम, लेखा परीक्षा, अंग, अदालत के मामले, संसद मामले, लोक शिकायत, द्विविधीय समझौता जापन/समझौता, विविध मामलों आदि का समन्वय। iv. अधिनियम और नियम <ul style="list-style-type: none"> (ए) निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005। (बी) निजी सुरक्षा एजेंसियां केंद्रीय मॉडल नियम, 2006। (सी) निजी सुरक्षा एजेंसियां केंद्रीय मॉडल नियम 2020 (पहले के मॉडल नियम 2006 का अधिक्रमण)। (डी) निजी सुरक्षा एजेंसियां (नकद परिवहन गतिविधियों के लिए निजी सुरक्षा) नियम, 2018। 	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <p>श्रीमती कृति गर्ग उप सचिव</p> <p>श्री गिरीश कुमार अवर सचिव</p> <p>श्री राहुल सिंघल अनुभाग अधिकारी</p> </div> </div>
2.	पी.एम.-II	<ul style="list-style-type: none"> i. पुलिस सुधार - विभिन्न रिपोर्टों, पुलिस सुधारों पर सिफारिशों से संबंधित मामले। ii. मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 iii. देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का चयन और रैंक करने के लिए सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन। iv. समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (डीसीपीडब्ल्यू)- गृह मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय के सभी प्रशासनिक और वित्तीय मामले। v. संबंधित प्रभागों को इनपुट प्रदान करने के लिए प्रभाग के भीतर निम्नलिखित मामलों का समन्वय:- <ul style="list-style-type: none"> - DGsP-IGsP सम्मेलन। - विजन @ 2024 और @2047 - मिशन मोड भर्ती - एसी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी मामलों के लिए आरक्षित 	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <p>श्रीमती कृति गर्ग उप सचिव</p> <p>श्री एन रजा स्वामी अवर सचिव</p> <p>श्री नितिन कुमार अनुभाग अधिकारी</p> </div> </div>

		<p>पद</p> <p>- एसजीओ/आरआईडी/ओबीएस मामले</p>	
3.	प्राव.I	<p>i. सीएपीएफ के लिए हथियार एवं गोला बारूद के अलावा अन्य मेटेरियल्स एवं सप्लाइस, डिजीटल उपकरण, आई सी टी उपकरण मशीनरी और उपकरण और मोटर वाहन, (सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी) का प्राधिकरण सह प्रावधानीकरण।</p> <p>ii. A&A के अलावा अन्य वस्तुओं के संबंध में सीमा शुल्क छूट।</p> <p>iii. पिंक बुक में निर्दिष्ट अन्य कर्तव्य।</p> <p>iv. आधुनिकीकरण योजनाएँ।</p> <p>v. DsG, CAPFs को वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन।</p> <p>vi. GeM से संबंधित मुद्दे।</p> <p>vii. सीएपीएफ और एसपीओ (ए एंड ए हेड को छोड़कर) द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात के लिए डीजीएफटी से प्राप्त प्रस्तावों के लिए एनओसी जारी करना।</p>	<p>श्रीमती रंजिता रश्मि, निदेशक (प्रावधान)</p> <p>श्री विनोद कुमार आर्य, अवर सचिव (प्राव.I)</p> <p>श्री विवेक सिंह मेहरा अनुभाग अधिकारी (प्राव.I)</p>
4.	प्राव.II	<p>i. सभी सीएपीएफ के हथियारों और गोला-बारूद का प्राधिकरण सह प्रावधानीकरण।</p> <p>ii. एसएसबी और आईबी के संबंध में हथियार और गोला-बारूद सहित सभी वस्तुओं का प्राधिकरण और प्रावधान।</p> <p>iii. सीएपीएफ/एसपीओ के हथियारों और गोला-बारूद के संबंध में सीमा शुल्क में छूट।</p> <p>iv. सीएपीएफ से जरूरतमंद एसपीओ को हथियारों की अधिशेष वस्तुओं का वितरण।</p> <p>v. बजट से संबंधित मुद्दे।</p> <p>vi. पिंक बुक में निर्दिष्ट अन्य कर्तव्य।</p> <p>vii. सीएपीएफ और एसपीओ के लिए हथियार और गोला-बारूद के आयात के लिए डीजीएफटी से प्राप्त प्रस्तावों के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करना।</p> <p>viii. सभी सी ए पी एफ, आई बी और एन आई ए के संबंध में वाहनों और स्टोरों को अपलीखित करना।</p> <p>ix. सभी सीएपीएफ के आयुध भण्डारों के अपलीखित/निराकरण संबंधी मुद्दे।</p>	<p>श्रीमती रंजिता रश्मि, निदेशक (प्रावधान)</p> <p>श्री सुदेश टाक, अवर सचिव (प्राव.II)</p> <p>श्री सुभाष चन्द्र साहू अनुभाग अधिकारी (प्राव.II)</p>
5.	प्राव.III	<p>i. सीएपीएफ के लिए हथियार एवं गोला बारूद के अलावा अन्य मेटेरियल्स एवं सप्लाइस, डिजीटल उपकरण, आई सी टी उपकरण मशीनरी और उपकरण और मोटर वाहन, (बी.एस.एफ., अ.रा., सी.आई.एस.एफ.) का प्राधिकरण सह प्रावधानीकरण।</p> <p>ii. निजी फर्मों द्वारा सीएपीएफ को नई तकनीक का प्रदर्शन।</p> <p>iii. भारत-इजरायल जेडब्ल्यूजी से संबंधित मामले।</p>	<p>श्रीमती रंजिता रश्मि, निदेशक (प्रावधान)</p> <p>श्री अनुज कुमार द.वि कमा. अधि. (प्राव.)</p> <p>रिक्त अनुभाग अधिकारी</p>

		iv. सभी सीएपीएफ, एनआईए और आईबी के ए एंड ए के अलावा अन्य स्टोरों और वाहन को निराकरन करना।	
6.	प्रांपण	i. बजट हेड मेटेरियल्स एवं सप्लाइस, डिजीटल उपकरण, आई सी टी उपकरण मशीनरी और उपकरण और मोटर वाहन से संबंधित बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ के महानिदेशक की वित्तीय योग्यता से परे खरीद से संबंधित मामले। ii. संसद भवन परिसर (पीएचसी) की सीसीटीवी और आईएसएस (एकीकृत सुरक्षा प्रणाली) परियोजना के एएमसी मामले। iii. सीएपीएफ के बैलिस्टिक मूल्यांकन मामले। iv. गृह मंत्रालय की सत्यनिष्ठा समझौता। v. राज्य पुलिस द्वारा प्रक्षेपित वस्तुओं की अधिप्राप्ति के संबंध में उनके साथ पत्राचार।	सुश्री अनु कुकरेजा निदेशक (प्राव.) श्री महेश्वर राय द्वि कमा. अधि. (प्रांपण) श्री सुशिल प्रदीप टोप्पो अनुभाग अधिकारी (प्रांपण)
7.	प्रांपण.I	i. बजट हेड मेटेरियल्स एवं सप्लाइस, डिजीटल उपकरण, आई सी टी उपकरण मशीनरी और उपकरण और मोटर वाहन से संबंधित असम राइफल्स के महानिदेशक, एनआईए और निदेशक आईबी की वित्तीय योग्यता से परे खरीद से संबंधित मामले। ii. सीएपीएफ और पीएमओ शिकायत पोर्टल से संबंधित शिकायत मामले। iii. खरीद से संबंधित मुकदमेबाजी और मध्यस्थता मामले।	सुश्री अनु कुकरेजा निदेशक (प्राव.) श्री राहुल रोहित सहायक कमांडेंट (प्रापण-I)
8.	प्रांपण.II	i. सीआरपीएफ के महानिदेशक, डीएफएसएस के तहत सीएफएसएल के निदेशकों, एलएनजेएन / एनआईसीएफ और सीबीआई के बजट हेड मेटेरियल्स एवं सप्लाइस, डिजीटल उपकरण, आई सी टी उपकरण मशीनरी और उपकरण और मोटर वाहन से संबंधित खरीद से संबंधित मामले। ii. बजट हेड मेटेरियल्स एवं सप्लाइस, डिजीटल उपकरण, आई सी टी उपकरण मशीनरी और उपकरण और मोटर वाहन से संबंधित एनएसजी, एसएसबी के महानिदेशक की वित्तीय योग्यता से परे खरीद से संबंधित मामले। iii. पीएम डिवीजन और सीएपीएफ के अधिकारियों की खरीद संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण।	सुश्री अनु कुकरेजा निदेशक (प्राव.) श्री विनोद दुबे सहायक कमांडेंट (प्रापण-II)
9.	लागत	i. पीएम डिवीजन के माध्यम से सीएपीएफ द्वारा खरीदे जा रहे उच्च मूल्य की वस्तुओं की लागत तर्कसंगतता की जांच/मूल्यांकन। ii. सीएपीएफ, आईबी, एनआईए, डीसीपीडब्ल्यू द्वारा प्रस्तुत एकल निविदा, परिणामी एकल निविदा, प्रोप्राइटी आर्टिकल सर्टिफिकेशन (पीएसी) आधार निविदाओं के माध्यम से खरीद में लागत तर्कसंगतता को सत्यापित करें।	सुश्री अनु कुकरेजा निदेशक (लागत)

10.	पुलिस के 9 सेल	सीएपीएफ के श्वानों से संबंधित सभी कार्य (जैसे सीएपीएफ के श्वानों सहित वृद्ध/ घायल/ अनुपयोगी पशुओं का चयन एवं निपटान के लिए एसओपी)। सीएपीएफ के कैनाइन से संबंधित सेवा श्वानों का प्राधिकरण और खरीद, कैनाइन की लागत सीमा तय करना और नुकसान को बट्टे खाते में डालना आदि।	सुश्री अनु कुकरेजा निदेशक (लागत) श्री मंजुर उद्दीन अहमद द्वि कमा. अधि. (पुलिस के 9 सेल)
-----	----------------	---	--

* आरटीआई, वीआईपी संदर्भों, संसद, लेखा परीक्षा, न्यायालय मामलों से संबंधित मामलों को सौंपे गए उनके विषय पर, संबंधित विंग द्वारा संभाला जाता है।
